

159 283  
निग 0-4534/2018/रीवा/भूमि

न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जिला  
रीवा म0प्र0



अंजू कछवाहा पति श्री रितेश कछवाहा उम्र 34 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी  
मकान नं0-30 वार्ड क0-04 गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका  
बनाम

कौशल सेन तनय नामालूम उम्र लगभग 50 वर्ष पेशा नाई की दुकान, नगर  
परिषद के बगल में गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

गैरपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान् नायब  
तहसीलदार महोदय, वृत्त गोविन्दगढ़,  
तहसील हुजूर, जिला रीवा म0प्र0 के  
द्वारा मुख्य नगर पालिक अधिकारी  
गोविन्दगढ़ की ओर मूलतः प्रेषित (हल्का  
पटवारी गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर,  
जिला रीवा म0प्र0 का सीमाज्ञात किये  
जाने का प्रतिवेदन दिनांक 09.12.2014  
के तारतम्य में) पत्र दिनांक 11.12.2014  
के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू  
राजस्व संहिता 1968

मान्यवर्

पुनरीक्षण के तथ्य निम्न हैं :-

- 1- यहकि निगरानीकर्ता के पिता स्व0 नारायण प्रसाद तनय श्री  
जागेश्वर प्रसाद कछवाहा गोविन्दगढ़ के वार्ड क0-04 मकान  
नं0-30, भूमि खसरा क0-941, 942, 943, के पुश्तैनी भूमिस्वामी थे,  
जिनका स्वर्गवास दिनांक 07.12.2017 को हो गया है, जिसका


अंजू कछवाहा

## राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.4534/श्रीवा/18..... जिला..... श्रीवा.....

श्रीमती अंजू कुशवाह विरुद्ध श्रीशल अने

1	2	3
<p>5114</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अमताबन्द पाठय..... अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील..... हम्पूर, जिला श्रीवा..... के प्रकरण क्रमांक..... मशा लरमीम..... में पारित आदेश दिनांक..... 09.12.14..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... श्रीवा..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ..... 30.03.19..... को कलेक्टर..... श्रीवा..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             सदस्य         </p>	